न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण सं.- 399/2025

मु.अ.सं. -38/2025

सरकार बनाम आशीष उर्फ छोटू

धारा- 109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम

थाना-बरदह, जनपद आजमगढ।

दिनाँक-11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **आशीष उर्फ छोटू** जिला कारागार से उपस्थित। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुना।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व धारा-109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप बनाये जाने की याचना की गयी, जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। मैं इस मत का हूं कि अभियुक्त आशीष उर्फ छोटू के विरूद्ध धारा 109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है जिनके आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रथमदृष्टया उपरोक्तानुसार अपराध कारित किया जाना प्रदर्शित होता है। अतः अभियुक्त आशीष उर्फ छोटू के विरूद्ध धारा 109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 25.11.2025 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हों।

दिनांक-11.11.2025

(जय प्रकाश पाण्डेय)

सत्र न्यायाधीश,

आजमगढ़।

JO CODE- UP1883

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2025.11.11 16:21:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।**</u>

सत्र परीक्षण सं.- 399/2025

मु.अ.सं. -38/2025

सरकार बनाम आशीष उर्फ छोटू

धारा- 109 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम

<u>थाना-बरदह, जनपद आजमगढ।</u>

<u>**आरोप**</u>

मैं **जय प्रकाश पाण्डेय,** सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ आप अभियुक्त **आशीष उर्फ छोटू** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः

प्रथम- यह कि दिनाँक 07.02.2025 को समय करीब 04.28 बजे बहद स्थान कोदहरा गांव, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की सीमा में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह व पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान से मारने के आशय या (ज्ञान) से और ऐसी परिस्थिति में .315 बोर के तमंचे से फायर किया, कि यदि इस कार्य से उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो **धारा- 109 बी.एन.एस.** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनाँक, समय एवं स्थान पर पुलिस पार्टी द्वारा आप अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर, दो अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई वैध प्रपत्र या लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो **धारा 3/25 आयुध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>**दिनांक- 11.11.2025**</u>

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इनकार किया व विचारण की याचना किया।

<u>**दिनांक- 11.11.2025**</u>

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।
JO CODE- UP1883